केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए/626, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800023
(वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में 'वनपाल' (Forester) के रिक्त पदों पर पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन
ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि–10/09/2020

विज्ञापन संख्या–04/2020

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में 'वनपाल' पद (वेतनमान 29200–92300, लेवल–5) की रिक्तियों की संख्या 236 (दो सौ छत्तीस) है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 04/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 27/07/2020 से प्रारंभ होगी ।

3. 'वनपाल' पद पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नलिखित नियमावली/अधिसूचना/अधियाचना में वर्णित/विहित प्रावधान के आलोक में केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा की जायेगी – **(i)** बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार पटना के पत्र संख्या–8/ब.2–10–23/2019 गृ0आ0 5034, दिनांक 23.07.2020 के माध्यम से प्राप्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना का अधियाचना पत्रांक–वन अरा0स्था0–40/2013–**1828/**प0व0ज0प0, दिनांक 29.05.2020, **(ii)** बिहार गजट (सं0 पटना 694) पटना, बुधवार, 4 सितम्बर, 2013 **"बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013"** **(iii)** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2984/प0व0, दिनांक 24.10.2018 (लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्वरूप), **(iv)** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या–11/आ0नी0–1–10/2015–**सा0प्र0– 2526**, दिनांक 18.02.2016 (राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण), **(v)** बिहार गजट (सं0 पटना 1006) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर, 2015 सामान्य प्रशासन विभाग, पटना, का संकल्प ज्ञापांक–13185, दिनांक–03.09.2015 (राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के संबंध में), **(vi)** बिहार गजट (सं0 पटना 60) पटना, बुधवार, 20 जनवरी, 2016, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक–963, दिनांक–20 जनवरी, 2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में), **(vii)** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र

संख्या 2342, दिनांक 15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण), **(viii)** बिहार गजट (सं0 पटना 284) पटना, मंगलवार, 26 फरवरी, 2019 सामान्य प्रशासन विभाग, पटना, की अधिसूचना संख्या **2622**, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण नियमावली, 2019) **(ix)** बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम,1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) **(x)** कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–3/एम0–83/2005 का0–2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या –11/आ0–विविध–06/2017 सा0प्र0–12167, दिनांक 04.09.2019 **(xi)** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक– वन/अरा0स्था0–40/2013–**2215**/ प0व0ज0प0, दिनांक 22.07.2020 का संलग्नक ज्ञापांक वन अरा0स्था0–40/2013–**3210**/प0व0, दिनांक 20.11.2018 द्वारा संसूचित अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही का वृत्त **(xii)** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक वन/अरा0 स्था0–40/2013–**2218,** दिनांक 23.07.2020 ।

4. अतएव उपर्युक्त प्रावधान / विहित प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिए गए निर्देशों एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में निर्धारित राशि (ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य) का भुगतान करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में केन्द्रीय चयन पर्षद के वेबसाइट (Website) **www.csbc.bih.nic.in** पर ऑन–लाइन समर्पित करेंगे। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन (साधारण डाक/स्पीड पोस्ट इत्यादि) स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5. **रिक्ति :–** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना का अधियाचना पत्रांक– वन अरा0स्था0–40/2013–1828/प0व0ज0प0 दिनांक 29.05.2020 के अनुसार 'वनपाल' पद पर रिक्ति की संख्या **236 (दो सौ छत्तीस)** है। इसका विवरण निम्नवत् है–

(क)

क्र0सं0	कोटि	पदों की कुल संख्या (बैकलॉग सहित)	35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या	बैक लॉग पदों की संख्या
01	सामान्य वर्ग (अनारक्षित)	91	32	–
02	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए	23	06	–
03	अनुसूचित जाति	37	13	–
04	अनुसूचित जनजाति	03	01	01
05	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	49	14	08

06	पिछड़ा वर्ग	24	08	–
07	पिछड़े वर्गों की महिला	09	–	02
योग–		**236**		

(ख)

01	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	**05** **(कुल पद 236 के अधीन)**

नोट – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–13062 दिनांक–12.10.2017 की कंडिका–2(**iii**) के प्रावधानों के आलोक में वनपाल के पद पर सीधी नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अनुमान्य 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अधीन 09 पदों के बदले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के क्षेत्रीय स्थापना में निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग के रिक्त 09 पद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश ज्ञापांक–2/वन अरा0स्था0–04/2020–**1757**, दिनांक 14.05.2020 द्वारा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

6. **<u>कट ऑफ तिथि</u> :–** सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवा में निरंतर तीन (03) वर्ष पूरा करने, के लिए कट–ऑफ तिथि **01 जनवरी, 2020** निर्धारित की जाती है।

7. **<u>आरक्षण</u> :–**

(i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम,1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापन की तिथि को लागू आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) **<u>महिलाओं के लिए प्रावधान</u> :–**

आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पद प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

(iii) **<u>बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए प्रावधान</u> :-**

बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 **(गजट संख्या 284, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण)** एवं ''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019'' के प्रावधान लागू होंगे।

(v) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ''बिहार अधिनियम-3, 1992 (अद्यतन)'' की कंडिका 4 (2) के परंतुक 4 के अनुसार **''बिहार राज्य के बाहरी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे''।** अतः अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुरूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा।

8. <u>''वनपाल'' पद पर आवेदन हेतु पात्रता</u> :-

8.1 भारतीय नागरिक (Indian) होना अनिवार्य है।

8.2 अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता :- ''वनपाल'' पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / काउन्सिल से इण्टर विज्ञान अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी।

8.3 अभ्यर्थी की उम्र ''मैट्रिक अथवा समकक्ष'' परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार निम्नवत् होगी :-

(1) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पचीस) वर्ष।

(2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 4(1) के अनुसार ''यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त है'' । अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए विहित आयु सीमा ही लागू होगी।

(3) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 27 (सताईस) वर्ष।

(4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 30 (तीस) वर्ष।

(5) बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो एवं जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहें, उनके लिए आयु सीमा में अधिकतम पाँच (05) वर्षों की छूट दी जायेगी।

(6) अभ्यर्थी की आयु की गणना मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी।

8.4 अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड –

(क) पुरूष अभ्यर्थी –

क्रमांक	**शारीरिक प्रमाप**	**अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति**	**अन्य**
1.	न्यूनतम ऊँचाई	160 सेंटीमीटर	165 सेंटीमीटर
2.	न्यूनतम सीना (बिना फुलाए)	79 सेंटीमीटर	81 सेंटीमीटर
3.	सीना का न्यूनतम फुलाव	05 सेंटीमीटर	05 सेंटीमीटर
4.	पैदल चलने की क्षमता	04 घंटे में 25 किलोमीटर	04 घंटे में 25 किलोमीटर

(ख) महिला अभ्यर्थी –

क्रमांक	**शारीरिक प्रमाप**	**अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति**	**अन्य**
1.	न्यूनतम ऊँचाई	155 सेंटीमीटर	160 सेंटीमीटर
2.	पैदल चलने की क्षमता	04 घंटे में 14 किलोमीटर	04 घंटे में 14 किलोमीटर

9. <u>नियुक्ति/चयन की प्रक्रिया</u>–

(क) प्रथम चरण – 'लिखित परीक्षा' – (i) आवेदन–पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। **लिखित परीक्षा में एक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 100 (एक सौ) वस्तुपरक (बहुविकल्पीय प्रश्न) प्रकार के प्रश्न होंगे । प्रश्न–पत्र के लिए 02 (दो) घंटों की अवधि दी जायेगी।** लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इण्टरमीडिएट विज्ञान (10+2) स्तर का होगा। हिन्दी भाषा का ज्ञान छोड़ कर, प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन (10+2+3 प्रणाली की 10वीं कक्षा) अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। भौतिक शास्त्र रसायन–शास्त्र, जीव विज्ञान तथा गणित के प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट (10+2+3 प्रणाली की 12वीं कक्षा) अथवा समकक्ष स्तर के होंगे।

(ii) **<u>प्रश्न–पत्र</u>** – दो घंटों के एक प्रश्न–पत्र में चार भाग में कुल 100 प्रश्न होंगे । प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार (04) अंक देय होगा। लिखित परीक्षा का पूर्णांक 400 अंकों का होगा।

भाग–1 में 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे।

भाग–2 में 15 प्रश्न तार्किक कौशल से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे।

भाग–3 में 50 प्रश्न यथा – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित होंगे। जीव विज्ञान अथवा गणित में से किसी एक विषय का चयन करना होगा तथा उक्त दोनों विषयों (जीव विज्ञान अथवा गणित) में से किसी एक चयनित विषय के ''विषय कोड'' को ओ0एम0आर (OMR) / उत्तर पुस्तिका में अंकित करते हुए उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना होगा ।

भाग–4 में 20 प्रश्न होंगे जिनमें 10 प्रश्न हिन्दी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे तथा 10 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे। भाग–4 का उद्देश्य हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है।

प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा :–

1. दिये गये गद्यांशों को समझना ।
2. शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार ।
3. हिन्दी व्याकरण ।
4. अंग्रेजी व्याकरण ।

(iii) **<u>पाठ्यक्रम</u>** – लिखित परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम पर्षद की वेबसाइट पर Syllabus शीर्ष के अन्दर Syllabus for Advt. No. 04/2020 टैब पर देखा जा सकता है तथा Download किया जा सकता है।

(iv) **<u>ऋणात्मक अंकन (Negative Marking)</u>** – उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार ऋणात्मक अंक दिये जायेंगे :

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिये जाने वाले अंकों का एक तिहाई दंड के रूप में काटा जायेगा।

(ख) यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जायेगा, चाहे दिये गये उत्तरों में से एक ठीक ही क्यों न हो और प्रश्न के लिए क्रमांक (क) के अनुसार ही दण्ड होगा।

(ग) यदि, प्रश्न को खाली छोड़ दिया गया है अर्थात उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(v) **<u>ओ0एम0आर (OMR) शीट</u>** :– लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओ0एम0आर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा–रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन, हस्ताक्षर तथा विषय कोड) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि

करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा, इसके लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा।

(vi) <u>इस परीक्षा में विभिन्न कोटियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक (Cut-off Marks) निम्नवत् है</u> :-

- सामान्य वर्ग – 40 प्रतिशत
- पिछड़ा वर्ग – 36.5 प्रतिशत
- पिछड़ा वर्ग एनेक्शचर-1 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) – 34 प्रतिशत
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिलाएँ – 32 प्रतिशत

<u>जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, वे निरर्हित (Disqualify) घोषित किये जायेंगे तथा उन्हें 'शारीरिक परीक्षण / शारीरिक दक्षता परीक्षा' में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी।</u>

(vii) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों में से विज्ञापित रिक्तियों के दो गुणा अनुपात (1:2) में मेधाक्रमानुसार प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक परीक्षण / दक्षता परीक्षा हेतु किया जायेगा।

(viii) लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण / दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(ख) द्वितीय चरण – 'शारीरिक परीक्षण/दक्षता परीक्षा' / चिकित्सीय जाँच : –

(1) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पर्षद द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार द्वारा गठित समिति द्वारा कराया जायेगा, जिसमें योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। शारीरिक माप दण्ड/दक्षता विज्ञापन की कण्डिका 8.4 के अनुसार होंगे। न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड/मापदण्ड को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किये जायेंगे। ''बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013'' के परिशिष्ट 'ख' का नियम 5 (iii) के अनुसार शारीरिक मापदण्ड/मानदण्ड की जाँच के अतिरिक्त चिकित्सीय जाँच भी की जायेगी।

(2) जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएँगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण / दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

10. **<u>अंतिम मेधा सूची</u>** – ''वनपाल'' पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए **<u>मेधा सूची, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेधाक्रमानुसार (Meritwise) आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी।</u>** लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके पारस्परिक स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर; एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा । इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान

जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

11. **<u>पर्षद द्वारा सरकार को अनुशंसा</u> –** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अधियाचित रिक्तियों के अनुसार लिखित एवं शारीरिक परीक्षण/दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची तैयार कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार को भेजी जाएगी।

12. **<u>नियुक्ति पदाधिकारी</u>** – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 'वनपाल' के पद पर नियुक्ति हेतु अनुसंशित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **वन संरक्षक करेंगे** ।

13. **<u>अभ्यर्थी का सत्यापन</u> :–** वनपाल पद हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा सम्पुष्टि कर ली जायेगी कि उनका पुलिस सत्यापन प्राप्त किया जा चुका है। नियुक्ति पदाधिकारी चयनित/अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति के पूर्व उनकी पहचान भली–भाँति जाँच कर सुनिश्चित कर लेंगे।

14. **<u>ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया</u> :– (i)** पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में "वनपाल" पद पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है। **दिनांक 27/07/2020 को ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।** विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट– **<u>www.csbc.bih.nic.in</u>** पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन–पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन–पत्र की राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

(ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 450/–(चार सौ पचास) रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 112/–(एक सौ बारह) रूपये है।

(iii) उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) अभ्यर्थियों से कोई अन्य राशि नहीं लेगा, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्जेज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित सभी क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking) के ट्रॉन्जेक्शन (Transaction) अनुमान्य होंगे।

15. **<u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश</u> :–**

(i) ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन–पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करें। *<u>यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन–पत्र को रद्द करने के साथ–साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।</u>*

(ii) **ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की वेबसाइट <u>www.csbc.bih.nic.in</u> पर जाकर 'Forest Dept. के Tab या Advts by Group में**

जाकर Adv. No. 04/2020 पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन–पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

(iii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई–मेल आई0डी0 रखें जो यथासम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। **पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 अनिवार्य है।** अभ्यर्थी द्वारा अपनी ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) को अँग्रेजी के छोटे अक्षरों में प्रविष्ट करना अनिवार्य है। यदि आपकी अपनी ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान यथा आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएँगी।

(iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक पर्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर / ई–मेल आई0डी0 पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई–मेल आई0डी0 के लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा।

(v) अभ्यर्थी को मात्र आवेदन–पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाती है।

(vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन–पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यही रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड (Password) आपके रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर भी भेजा जायेगा।

(vii) आवेदन–पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।

(viii) **एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन–पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। *जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन–पत्र भरेंगे उनको अयोग्य मानते हुए उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।***

(ix) अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही–सही उल्लेख करेंगे। आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही–सही भरेंगे। **प्रमाण–पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।**

(x) ***आवेदन–पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि की प्रविष्टि करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः***

आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।

(xi) ***आवेदन–पत्र में यदि आवेदक स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी एवं/अथवा गृह रक्षक होने का दावा करते हैं, और संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।***

(xii) ***आवेदन–पत्र में यदि आवेदक बिहार सरकार का सेवक होने का दावा करते हैं, और संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।***

(xiii) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी **कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की **वेबसाइट– http://gad.bih.nic.in/** पर समय–समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

(xiv) **ऑनलाइन आवेदन पत्र :–**

ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जायेगा – **(क) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के प्रथम भाग** में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई–मेल आई0डी0, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई–मेल आई0डी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/E-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा है।

पंजीकरण रद्दीकरण – यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट (Edit) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

(ख) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद **ऑनलाइन आवेदन–पत्र के द्वितीय भाग में** उम्मीदवार को वांछित सूचनाएँ यथा– पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद **(i)** आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, एवं **(ii)** हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली एवं नीली स्याही से) अलग–अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

(ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन–पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन–पत्र को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक "Edit Details" के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन–पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ ई–मेल आई0डी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/E-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट/समर्पित किए गये आवेदन–पत्र के विवरण को सही मानते हुए पर्षद आवेदन–पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन–पत्र की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली–भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।

(घ) <u>गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र को रद्द कर नया आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया</u> :–

यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन–पत्र गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। परन्तु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

16. <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

(क) <u>भरे गये ऑनलाइन आवेदन–पत्र को केन्द्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है</u>। परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है अतः <u>पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें</u>। केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन–पत्र की पावती (Acknowledgement) की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

(ख) ऑनलाइन आवेदन–पत्र में सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूपेण सही–सही भरी जाने के बाद ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पूर्ण माना जाएगा न कि मात्र रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क के भुगतान कर देने मात्र से ।

(ग) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन भरते समय जो फोटोग्राफ अपलोड किया है, उसी की कम–से–कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर फोटोग्राफ प्रस्तुत कर सकें ।

17. <u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि</u> :–

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/09/2020 निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन–पत्रों या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

18. <u>उम्मीदवारी रद्दीकरण</u> – आवेदक की उम्मीदवारी अंतिम रिजल्ट प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय निम्नलिखित कारणों से बिना सूचना दिये रद्द की जा सकती है :

(i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना।

(ii) आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति, अन्य फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना।

(iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना।

(iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।

(v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।

(vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।

(vii) आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना।

(viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना ।

(ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे – विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट–ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना, तथा भारत का नागरिक न होना आदि।

(x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।

(xi) प्रमाण–पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत / समर्पित न करना, जैसे –

(क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के नाम से जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के नाम से प्रमाण–पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।

(ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा सामान्य कोटि का पाया जाना, आदि।

(xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।

(xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।

(xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा देने का प्रयास करना।

(xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरूद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरूद्ध पाई जाए।

19. आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले वैध अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन से संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रवेश–पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से एवं पर्षद की वेबसाइट पर यथासमय दी जायेगी। कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती है। अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ ई–मेल आई0डी0 सक्रिय/जारी रखें।

20. जो महिलाएँ पैदल चलने की क्षमता एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती पायी जायेंगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर पैदल चलने की क्षमता एवं शारीरिक दक्षता जाँच

में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस आधार पर उन्हें अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

21. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः एक वर्ष का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा– पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

ह0/–

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

बिहार, पटना

ज्ञापांक–28/के0च0प0(सू0)

अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक–ए/626,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना– 800023

दिनांक– 24/07/2020